राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1709/2024

अजीज खान पठान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग उदयपुर।
4. जिला कलक्टर, जिला उदयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2024
आदेश की दिनांक : 01.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गौतम, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने जिला कलक्टर सलूम्बर को 12.03.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को एक माह के लिए नव सृजित जिला कलक्टर सलूम्बर में आदेश दिनांक 11.08.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था तथा संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 20.08.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा उक्त एक माह की अवधि को 06 माह के लिये विस्तारित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 14.08.2023 को जिला कलक्टर कार्यालय, सलूम्बर में उपस्थिति दे दी गई तथा उक्त 06 माह की अवधि दिनांक 14.02.2024 को पूर्ण हो चुकी है। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा कुल 12 कार्मिकों की अवधि आगामी 06 माह के लिये बढाई गई, परन्तु उक्त पत्र में जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रासंगिक आदेश द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गये कार्मिकों की अवधि को नहीं बढाया गया। अपीलार्थी ने अवधि बढाई जाने संबंध कोई निर्देश नहीं होने के कारण उसके मूल विभाग में कार्यग्रहण करवाने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1665/2024 पवन कुमार मीना बनाम राजस्थान एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 द्वारा यह निर्देश दिए है कि पीडित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किया जावे एवं याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का 30

दिनों के भीतर आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कार्यवाही करना आवश्यक है, लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2023 एवं 20.08.2023 के आदेशों के अनुसरण में अपीलार्थी को छः महीने की कार्य अवधि समाप्त होने के बाद जिला कलक्टर उदयपुर के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य